संख्या. 24/11/2014-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग

****

नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली-1
दिनांक 17 जुलाई, 2014

सेवा में,

श्री अजीत कुमार,
137, एम आई जी, यशोदा देवी पथ,
लोहिया नगर, कंकर बाग कालोनी,
पटना – 20

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में।

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय पर अपने दिनांक 28.03.2014 के आवेदन का संदर्भ लें जो अधोहस्ताक्षरी को, आर टी आई अनुभाग के दिनांक 30.06.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-ए-43020/01/2014-आर टी आई के माध्यम से दिनांक 01.07.2014 को प्राप्त हुआ।

2. यह सूचित किया जाता है कि आपका दिनांक 17.12.2013 का पत्र राष्ट्रपति सचिवालय के माध्यम से दिनांक 27.01.2014 को उनके अग्रेषण के बगैर प्राप्त हुआ तथा समरूप विषय पर दूसरा पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय के दिनांक 09.01.2014 के आई डी संख्या – 2/3/2014-पी एम पी 4/117791 के तहत प्राप्त हुआ। उनका उत्तर इस मंत्रालय के दिनांक 14.02.2014 के पत्र संख्या 15/2/2014-पब्लिक के तहत भेजा गया था तथा जिसकी हिन्दी प्रति दिनांक 03.03.2014 को जारी की गई थी। दोनो पत्रों में से प्रत्येक की प्रति संलग्नक है।

3. इस संबंध में यदि कोई अपील हो तो आर टी आई अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी को 30 दिनों के अन्दर भेजी जा सकती है। अपीलीय प्राधिकारी का विवरण इस प्रकार है:-

श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशा.) एवं अपीलीय प्राधिकारी, कमरा संख्या 194, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001

(श्यामला मोहन)
निदेशक एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित:-

आर टी आई अनुभाग, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके ऊपर उल्लिखित पत्र के संबंध में/अनुभाग अधिकारी (आई टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। इस अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के तहत आर टी आई एक्ट – सूचना शीर्षक के अंतर्गत गृह मंत्रालय की वेबसाइट में की वर्ड पर आधारित खोज सुविधा के साथ आर टी आई आवेदन की प्राप्ति एवं संबंधित के.लो.सू.अधिकारी के अधीन उसके उत्तर को अपलोड करने हेतु।

No. 15/2/2014-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Public Section

***

North Block, New Delhi-1
Dated the 14 February 2014

To

Shri Ajit Kumar,
R/o MIG-137, Yashoda Devi Path,
Lohiya Nagar, Kankarbagh,
Patna -800020, Bihar.

Subject:- Disrespect of National Flag -regarding.

Sir,

I am directed to refer to your letter dated 17.12.2013 received directly and 27.12.2013 received through PMO vide ID No. 2/3/2014-PMP4/117791 dated 9.1.2014 on the above noted subject and to say that the use/display/hoisting of the National Flag is regulated by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and Flag Code of India, 2002, which are available on this Ministry's website www.mha.nic.in.

2. Para 2.1 of Part II, Section I of Flag Code of India 2002 inter-alia state that –

"There shall be no restriction on the display of the National Flag by members of general public, private organizations, educational institutions, etc., except to the extent provided in the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 and the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and any other law enacted on the subject".

3. The insult to the Indian National Flag is a punishable offence under Section 2 of the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and it contains an illustrative list of insults to or disrespect of the National Flag. The complaint regarding insult to National Flag may be filed in the nearest police station where the incident has occurred.

4. Safeguards regarding use of the National Flag already exist in the Flag Code of India 2002 and aforesaid Act. From time-to-time this Ministry has been sending advisory to all States/UTs for correct use of the National Flag.

Hindi version will follow.

14 FEB 2014

Yours faithfully,

(Sunil Kumar)
Section Officer (Public)

Copy for information to:-

Shri Pavan Malviya, Section Officer, Prime Minister's Office, New Delhi w.r.t. their communication cited above.

सं. 15/2/2014-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-1
दिनांक 14 फरवरी, 2014

सेवा में

श्री अजीत कुमार,
निवासी एम आई जी-137, यशोदा देवी पथ,
लोहिया नगर, कंकड़बाग कॉलोनी,
पटना-800020, बिहार।

विषय: राष्ट्रीय झंडे के अपमान के संबंध में।

महोदय,

मुझे, ऊपर उल्लिखित विषय पर आपके दिनांक 17.12.2013 के पत्र जो सीधे प्राप्त हुआ था तथा दिनांक 27.12.2013 के पत्र जो दिनांक 09.01.2014 की आई डी सं. 02/03/2014-पी एम पी 4/117791 के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था, का उल्लेख करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय झंडे के प्रयोग/प्रदर्शन/फहराने को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 द्वारा विनियमित किया जाता है, जो इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर उपलब्ध है।

2. भारतीय झंडा संहिता, 2002 की धारा I, भाग II का पैरा 2.1 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है कि -

"आम जनता, गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा सिवाय संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा इस विषय पर बनाए गए किसी अन्य कानून में बताए गए प्रतिबंध के।"

3. राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत राष्ट्रीय झंडे का अपमान एक दंडनीय अपराध है तथा इसमें राष्ट्रीय झंडे के अपमान तथा अनादर की निदर्शी सूची शामिल है।